फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : ललिता बनाम प्रतिवादी : अर्जुनलाल

किस्म मुकदमा : वाद प्रकरण संख्या : 03/24

दिनांकः 10.07.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त प्रकरण में दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनाम निष्पादित हो चुका है एवं अब वादिया इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, जिससे उक्त प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

वादीया को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायायल का विनम्र अभिमत है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनाम निष्पादित होने से वादीया अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है जिससे प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर